

मिशन शक्ति 5.0 : नारी सुरक्षा, सम्मान व स्वावलंबन को लेकर महोबा पुलिस का सशक्त जागरूकता अभियान...

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री प्रबल प्रताप सिंह के कुशल निर्देशन में तथा अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वन्दना सिंह के निकट पर्यवेक्षण में “मिशन शक्ति अभियान फेज-5” के अन्तर्गत आज दिनांक- 21.02.2026 को जनपद महोबा में महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सशक्तिकरण एवं विश्वास का वातावरण सुदृढ़ करने के उद्देश्य से व्यापक जागरूकता अभियान चलाया गया।

“मिशन शक्ति 5.0” अभियान के अन्तर्गत जनपद के समस्त थानों द्वारा प्रमुख बाजारों, कस्बों, चौराहों, धार्मिक स्थलों एवं अन्य महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थानों पर महिला पुलिस कर्मियों की सक्रिय सहभागिता से महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों, सरकारी कल्याणकारी योजनाओं तथा सुरक्षा संबंधी संसाधनों की जानकारी प्रदान की गई।

अभियान के दौरान विभिन्न विभागों की योजनाओं जैसे मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई आर्थिक सहायता योजना, निराश्रित महिला पेंशन योजना, उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, पीएम सम्मान निधि योजना, वन स्टॉप सेंटर, आयुष्मान योजना, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन योजना, महिला शक्ति केंद्र योजना, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना आदि की जानकारी पंपलेट के माध्यम से दी गई।

महिलाओं को पुलिस विभाग से संबंधित महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबरों जैसे वीमेन पावर लाइन-1090, पुलिस आपातकालीन सेवा-112, सीएम हेल्पलाइन-1076, स्वास्थ्य सेवा-102, एम्बुलेंस सेवा-108, महिला हेल्पलाइन-181, साइबर क्राइम हेल्पलाइन-1930 आदि के बारे में भी विस्तार से अवगत कराया गया।

महोबा पुलिस द्वारा चलाया गया यह अभियान महिलाओं में सुरक्षा का भरोसा, आत्मनिर्भरता की सोच और सम्मान का भाव विकसित करने की दिशा में एक सशक्त पहल है।



महोबा पुलिस की सवेदनशील कार्यवाही से युवती को मिला खोया बैग, सामुदायिक पुलिसिंग का उत्कृष्ट उदाहरण

पुलिस अधीक्षक महोबा प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोबा वन्दना सिंह के मार्गदर्शन में महोबा पुलिस द्वारा निरन्तर आमजन की सुरक्षा एवं सहायता हेतु प्रभावी कार्यवाही की जा रही है।

उक्त क्रम में यातायात पुलिस महोबा टीम द्वारा सामुदायिक पुलिसिंग का एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया गया। आज दिनांक 21.02.2026 को नेहा कुशवाहा पुत्री श्री विश्वनाथ कुशवाहा निवासी ग्राम करहरा कला, थाना महोबा का बैग झलकारी बाई चौराहे के पास टेंपो में छूट गया था।

सूचना प्राप्त होते ही यातायात पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए संबंधित टेंपो चालक की खोजबीन प्रारंभ की।

यातायात पुलिस टीम के उ0नि0 विजय शंकर, का0 पवन कुमार, हे0का0 यासीन अली एवं पीआरडी जवान प्रमेश कुमार द्वारा तत्परता एवं सजगता के साथ कार्यवाही करते हुए टेंपो चालक को खोज निकाला गया तथा बैग सकुशल बरामद कर पीड़िता को सुपुर्द किया गया।

बैग सुरक्षित प्राप्त होने पर पीड़िता एवं उनके परिजनों द्वारा महोबा पुलिस की भूरी-भूरी प्रशंसा की गई तथा पुलिस टीम के प्रति आभार व्यक्त किया गया।

महोबा पुलिस आमजन के विश्वास, सुरक्षा एवं सहयोग के लिए सदैव प्रतिबद्ध है।



SPEL कार्यक्रम के अंतर्गत “Cyber Security and Awareness” विषय पर विशेष सत्र आयोजित...।

आज दिनांक 21.02.2026 को Student Police Experiential Learning (SPEL) कार्यक्रम के अंतर्गत “Cyber Security and Awareness” विषय पर एक विशेष शैक्षिक एवं जागरूकता सत्र का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य छात्र-छात्राओं को डिजिटल युग में बढ़ते साइबर अपराधों के प्रति जागरूक करना तथा सुरक्षित ऑनलाइन व्यवहार के प्रति प्रेरित करना रहा।

सत्र के दौरान प्रभारी महिला थाना म0उ0नि0 निकिता शुक्ला एवं कम्प्यूटर ऑपरेटर प्रवीण कुमार गुप्ता द्वारा विद्यार्थियों को साइबर अपराधों के विभिन्न प्रकारों जैसे—ऑनलाइन ठगी, फर्जी कॉल/मैसेज, फिशिंग लिंक, सोशल मीडिया हैकिंग, साइबर बुलिंग, डिजिटल अरेस्ट, OTP फ्रॉड एवं बैंकिंग धोखाधड़ी आदि के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। साथ ही बताया गया कि किसी भी अज्ञात लिंक पर क्लिक न करें, अपनी व्यक्तिगत जानकारी, पासवर्ड अथवा OTP किसी के साथ साझा न करें तथा सोशल मीडिया पर अनावश्यक जानकारी पोस्ट करने से बचें।

इस दौरान विद्यार्थियों को सुरक्षित पासवर्ड बनाने, Two-Factor Authentication का उपयोग करने, संदिग्ध कॉल्स की पहचान करने तथा साइबर अपराध की स्थिति में तत्काल संबंधित पोर्टल/हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया को व्यावहारिक उदाहरणों के माध्यम से समझाया गया। विद्यार्थियों को यह भी बताया गया कि साइबर अपराध की रिपोर्टिंग में देरी न करें, क्योंकि त्वरित कार्यवाही से आर्थिक नुकसान की भरपाई की संभावना बढ़ जाती है। इस सत्र का उद्देश्य युवाओं को डिजिटल रूप से सजग, सुरक्षित एवं जिम्मेदार नागरिक बनाना तथा पुलिस एवं जनसामान्य के मध्य विश्वास एवं सहभागिता को सुदृढ़ करना रहा।



क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ के नेतृत्व में गुमशुदा बरामदगी अभियान में उल्लेखनीय सफलता

जनपद महोबा के सर्किल कुलपहाड़ अंतर्गत समस्त थानों में दिनांक 01.12.2025 से अब तक गुमशुदा व्यक्तियों की बरामदगी हेतु चलाए जा रहे विशेष अभियान के क्रम में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई है। यह अभियान पुलिस अधीक्षक महोबा प्रबल प्रताप सिंह एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोबा वन्दना सिंह के निर्देशन में संचालित किया जा रहा है। अभियान का प्रभावी पर्यवेक्षण एवं नेतृत्व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ रविकांत गोंड द्वारा किया जा रहा है, जिनके निर्देशन में सर्किल के समस्त थानों द्वारा निरंतर प्रयास करते हुए निम्नवत् थानावार गुमशुदा व्यक्तियों की सकुशल बरामदगी सुनिश्चित की गई है—

- थाना कुलपहाड़- 16
- थाना पनवाड़ी- 05
- थाना महोबकंठ- 10
- थाना अजनर- 07

क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ द्वारा लगातार समीक्षा बैठकें आयोजित कर प्रत्येक गुमशुदगी प्रकरण की प्रगति की मॉनिटरिंग की जा रही है तथा संबंधित थाना प्रभारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए जा रहे हैं। टीमवर्क, सतत प्रयास एवं प्रभावी पर्यवेक्षण के परिणामस्वरूप उपरोक्त गुमशुदगियों की सफल बरामदगी संभव हो सकी है।

शेष पंजीकृत गुमशुदगियों के संबंध में भी सतत कार्यवाही प्रचलित है एवं शीघ्र ही उनकी भी बरामदगी सुनिश्चित की जाएगी। जनपद पुलिस आमजन की सुरक्षा एवं विश्वास को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है।



अपर पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा थाना कोतवाली नगर व कुलपहाड़ में अर्दली रूम का आयोजन, विवेचना निस्तारण व सुरक्षा व्यवस्था को लेकर दिए गए महत्वपूर्ण निर्देश...।

आज दिनांक 21.02.2026 को अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वंदना सिंह द्वारा क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री रविकान्त गोंड की उपस्थिति में थाना कुलपहाड़ परिसर में थाना कुलपहाड़ के समस्त विवेचकों तथा पुलिस कार्यालय में थाना कोतवाली नगर के समस्त विवेचकों के साथ लंबित विवेचनाओं की गहन समीक्षा की गई।

अपर पुलिस अधीक्षक महोबा ने प्रत्येक प्रकरण की प्रगति का विस्तृत अवलोकन करते हुए समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण एवं निष्पक्ष निस्तारण हेतु स्पष्ट दिशा-निर्देश प्रदान किए। उन्होंने निर्देशित किया कि विवेचनाओं में अनावश्यक विलंब न हो तथा पारदर्शिता, साक्ष्य संकलन की गुणवत्ता एवं न्यायसंगत कार्यवाही को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए।

अर्दली रूम के दौरान साइबर जागरूकता अभियान एवं मिशन शक्ति अभियान 5.0 के अंतर्गत जन-जागरूकता कार्यक्रमों को और अधिक प्रभावी एवं व्यापक रूप से संचालित करने हेतु भी आवश्यक निर्देश दिए गए।

इसके अतिरिक्त यक्ष ऐप पर समस्त सूचनाओं का समयबद्ध अद्यतन, e-सम्मन प्रणाली के माध्यम से शत-प्रतिशत डिजिटल तामील, I-Raid ऐप द्वारा अपराधियों की नियमित चेकिंग/सत्यापन तथा e-साक्ष्य व SID पोर्टल पर साक्ष्य एवं केस डायरी का समय से डिजिटल अपलोड सुनिश्चित कर पारदर्शी एवं गुणवत्तापूर्ण कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए।

अर्दली रूम उपरांत अपर पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा थाना कुलपहाड़ क्षेत्र के प्रमुख कस्बों, बाजारों, चौराहों एवं मिश्रित आबादी वाले संवेदनशील स्थलों पर पैदल गश्त कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। इस दौरान आमजन से संवाद स्थापित कर कानून-व्यवस्था की स्थिति की जानकारी प्राप्त की गई तथा प्रभारी निरीक्षक कुलपहाड़ को नियमित संदिग्ध व्यक्ति एवं वाहन चेकिंग, प्रभावी पैदल एवं रात्रि गश्त सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया।

अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा आगामी होली एवं रमजान पर्व के दृष्टिगत सभी थाना प्रभारियों एवं विवेचकों को आवश्यक एहतियाती कदम उठाने, संवेदनशील स्थानों पर विशेष निगरानी रखने तथा पर्वों को सौहार्दपूर्ण वातावरण में सकुशल संपन्न कराने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए गए।



MAHOBA POLICE Meticulous Investigation & Prosecution



**आभूषण एवं नकदी चोरी करने वाले आरोपी अभियुक्त को
₹2,000/- के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित**

❖ श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० द्वारा चलाये जा रहे अभियान "Operation Conviction" के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं अभियोजन विभाग के संयुक्त प्रयास से मा० न्यायालय में प्रभावी पैरवी के क्रम में अपर सिविल जज (जू०डि०) महोबा द्वारा **"वादिनी के घर से आभूषण व नकदी चोरी करने"** के प्रकरण से सम्बन्धित पंजीकृत अभियोग में आरोपी अभियुक्त को दोषसिद्ध घोषित करते हुये जेल में बितायी गयी अवधि व 2000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

❖ **विवरण निम्नवत है:-**

थाना पनवाड़ी में पंजीकृत मु.अ.सं. 312/2024 धारा- 305/331(2)/317(2) बीएनएस भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त भूपेन्द्र कुशवाहा पुत्र जयप्रकाश थाना पनवाड़ी जनपद महोबा को जेल में बितायी गयी अवधि व 2,000/- हजार रुपये के **अर्थदण्ड से दण्डित** कराया गया है।

